

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. - 2024/221

मुकदमा नम्बर 80/2024

दर्ज दिनांक-10.11.2022

अरविन्द पुत्र बनवारीलाल जाति मेघवाल, निवासी ग्राम खोजास, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू

बनाम

1. केशर देव पुत्र कुरडाराम
2. सुमित्रा पुत्री कुरडाराम
3. रामेश्वरी पत्नी शिशपाल
4. जीवणी पत्नी बनवारी
5. बनारसी देवी पुत्री लेखुराम
6. मदनलाल पुत्र रामेश्वर
7. मूली देवी पुत्री लेखुराम
8. रामनिवास पुत्र गीगा
9. रामेश्वर पुत्र मंगला
10. सुगनी पुत्री गीगा
11. झाबर पुत्र झूथा
12. नौरंग पुत्र झूथा
13. जगदीश पुत्र गणपत
14. रामकरण पुत्र गणपत जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम खोजास तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू
15. भूमिधारक राज्य सरकार जरिए (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुझुनू

वकील आवेदक : - श्री अशोक जांगिड

अनावेदक सं. 1 लगा. 10,12,14,15 :- एक पक्षीय

अनावेदक सं. 11,13:- श्री सुरेन्द्र बेरवाल

प्रार्थना-पत्र(पत्थरगढी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 01.07.2025

प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र प्रस्तुत किया कि, राजस्व ग्राम खोजास पटवार हल्का बसावा के खसरा नं. 365,366 रकबा क्रमशः 1.17, 1.16 है० की सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश करे।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक 1 लगा. 10, 12,14,15 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे अतः इस प्रकरण में इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अनावेदक सं. 11,13 की और से वकील उपस्थित जवाब पेश नहीं किया गया। जवाब बन्द किया जाता है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रा. पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकूलान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनुन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक ने प्रा. पत्र के साथ दिनांक 16.06.2022 की फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश की

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Page 73

है। पत्रावली पर प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों द्वारा तैयार की गई, जिस पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, राजस्व ग्राम खोजास पटवार हल्का बसावा के खसरा नं. 365,366 रकबा क्रमशः 1.17, 1.16 है० की सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी कायम कर दी जावे। यदि आदेश की पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने पर समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 01/07/2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला-झुझुंनू